वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2017-चैत्र 10, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

यह कि मेरा सर्विस नं.-173812B EXPOME INDIAN NAVY है एवं मेरी सर्विस रिकार्ड में मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण दिया था उसमें मेरे बेटे का नाम के. कुशल रेड्डी (K. KUSHAL REDDY) त्रुटिवश अंकित हो गया है. यह कि मेरे पुत्र का सही नाम कोय्या खुशहाल रेड्डी (KOYYA KHUSHHAL REDDY) है. यह कि मैं अपने सर्विस रिकार्ड में अपने पुत्र का सही नाम कोय्या खुशहाल रेड्डी (KOYYA KHUSHHAL REDDY) अंकित कराना चाहता हूं. यह कि मैं अपने पुत्र का नाम सर्विस रिकार्ड में अंकित कराने के संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूँ.

(कोय्या भास्कर रेड्डी)
(KOYYA BHASKAR REDDY)
173812B
EXPOME
INDIAN NAVY
निवासी-मकान नं.-95, आशाराम नगर,
फेस-1, बागमुगलिया, भोपाल (म. प्र.).

(763-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मुझ शबाना पिता मंसूर अली घासवाला ने विवाह के पश्चात् अपना नाम परिवर्तन कर नया नाम शेरेबानो पति डॉ. मजहर हुसैन रख लिया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(शबाना पिता मंसूर अली घासवाला)

नया नाम :

(शेरेबानो)

पति डॉ. मजहर हुसैन,
निवासी-ए-36, बुरहानी नगर, मंदसौर.

(764-बी.)

जाहिर सूचना

मुझ कैलाश चन्द्र तेजवाल पुत्र श्री श्रीकृष्ण लाल तेजवाल, उम्र 83 वर्ष, जन्म तिथि 1-1-1933, निवासी तेजवाल सदन, पशु अस्पताल के पास, रीठा फाटक रोड, वार्ड नं.-06, श्रीरामनगर, विदिशा के बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन म. प्र. के वर्ष 1965 के इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट में मेरा नाम Kailash Chandra Tajval Son of Shri Shri Kirishn Lal दर्ज है, जो कि सही है. जबकि स्पेलिंग मिस्टेक/लिपिकीय त्रुटि/भ्रांति आदि के कारण कई स्थानों पर नाम में त्रुटि हो गयी है जैसे वोटर आई. डी. में कैलाशचन्द पुत्र श्रीकिशन, भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक में Kailash Chand Tejwal S/o Shri Kishan Lal, पेनकार्ड में Kailash Chandra Tejwal S/o ShriKishan Lal Tejwal, भू-अभिलेखों में कैलाश चन्द्र तेजवाल आत्मज श्रीकिशनलाल तेजवाल आदि दर्ज हैं. इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट 1965 में दर्ज अनुसार कैलाश चन्द्र तेजवाल पुत्र श्री श्रीकृष्ण लाल तेजवाल ही मेरा सही नाम है. यह सभी नाम एक ही व्यक्ति कैलाश चन्द्र तेजवाल पुत्र श्री श्रीकृष्ण लाल तेजवाल के हैं. अत: भविष्य में सभी स्थानों पर मुझे कैलाश चन्द्र तेजवाल पुत्र श्री श्रीकृष्ण लाल तेजवाल के नाम से पढ़ा तथा जाना समझा जावे.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भविष्य में सभी स्थानों पर मुझे कैलाश चन्द्र तेजवाल पुत्र श्री श्रीकृष्ण तेजवाल के नाम से पढ़ा तथा जाना समझा जावें.

(कैलाश चन्द्र तेजवाल),
पुत्र श्री श्रीकृष्ण लाल तेजवाल,
तेजवाल सदन, पशु अस्पताल के पास, रीठा फाटक रोड,
वार्ड नं.-06, श्रीरामनगर, विदिशा (म. प्र.).

(765-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रदीप वाल्टर पिता श्री मदन वाल्टर जो कि शासकीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड म. प्र. भोपाल संस्था/केन्द्र, कटनी बोर्ड की परीक्षा 1988 में शामिल हुए थे. जिसमे त्रुटिवश उनका नाम प्रदीप वाल्टर के स्थान पर प्रदीप कुमार वाल्टर कर दिया गया जबकि वास्तविक नाम केवल प्रदीप वाल्टर है तथा अन्य समस्त दस्तावेजों में भी प्रदीप वाल्टर है. वास्ते सुधार हेतु तथा कुमार विलोपित करने हेतु वैधानिक एवं सर्वसाधारण सूचित हो.

(प्रदीप वाल्टर),
पिता श्री मदन वाल्टर
24, ज्योति नगर, बैंक कॉलोनी, बुरहानपुर.

(766-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, ईशा गोयल पुत्री श्री प्रवीण गोयल, निवासी E7/60, एस. बी. आई. कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.) के नाम से जानी जाती थी. अब मैं, ईशा अग्रवाल पुत्री प्रवीण अग्रवाल के नाम से जानी जाती हूँ.

पुराना नाम :
(ईशा गोयल)
पुत्री श्री प्रवीण गोयल

नया नाम :
(ईशा अग्रवाल)
पुत्री श्री प्रवीण अग्रवाल
निवासी-E7/60, एस. बी. आई. कॉलोनी,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(767-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, केशव गोयल पुत्र श्री प्रवीण गोयल, निवासी E7/60, एस. बी. आई. कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.) के नाम से जाना जाता था. अब मैं, केशव अग्रवाल पुत्र श्री प्रवीण अग्रवाल के नाम से जाना जाता हूँ.

पुराना नाम :
(केशव गोयल)
पुत्र श्री प्रवीण गोयल

नया नाम :
(केशव अग्रवाल)
पुत्र श्री प्रवीण अग्रवाल
निवासी-E7/60, एस. बी. आई. कॉलोनी,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(768-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, प्रवीण गोयल पुत्र श्री त्रिलोकीनाथ गोयल, निवासी E7/60, एस. बी. आई. कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.) के नाम से जाना जाता था अब मैं, प्रवीण अग्रवाल पुत्र श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल के नाम से जाना जाता हूँ.

पुराना नाम :

(प्रवीण गोयल)

पुत्र श्री त्रिलोकीनाथ गोयल.

नया नाम :

(प्रवीण अग्रवाल)

पुत्र श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल
निवासी-E7/60, एस. बी. आई. कॉलोनी, भोपाल.

(769-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, पूर्व में, लीना गोयल पत्नी श्री प्रवीण गोयल, निवासी E7/60, एस. बी. आई. कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.) के नाम से जानी जाती थी. अब मैं, लीना अग्रवाल पत्नी प्रवीण अग्रवाल के नाम से जानी जाती हूँ.

पुराना नाम :

(लीना गोयल)

पत्नी श्री प्रवीण गोयल.

नया नाम :

(लीना अग्रवाल)

पत्नी श्री प्रवीण अग्रवाल,
निवासी-E7/60, एस. बी. आई. कॉलोनी,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

(770-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित हो कि हमारी फर्म मेसर्स डी पी ज्वेलर्स, फर्म रजि. नं 07/37/01/0095/17, पता 138, चांदनीचौक, रतलाम के नाम से रजिस्टर्ड है. उक्त फर्म की संरचना में दिनांक 13-02-2017 को परिवर्तन करते हुए फर्म का नाम डी पी ज्वेलर्स से मेसर्स डी पी आभूषण किया गया है तथा फर्म में दिनांक 13-02-2017 के भागीदारी विलेख के अनुसार

भागीदार नं 1 श्री रतनलाल पिता पन्नालालजी कटारिया एवं भागीदार नं 2 अनिल पिता श्री मनोहरलाल जी कटारिया यथावत रहेंगे तथा नये भागीदार के रूप में भागीदार नं 3 संतोष पिता श्री रतनलालजी कटारिया, 50, घांसबाजार, रतलाम, भागीदार नं 4 विकास पिता श्री रतनलालजी कटारिया, 50, घांसबाजार, रतलाम, भागीदार नं 5 श्रीमति रेणु पति श्री संजयजी कटारिया, 71, डीपी विला, बजाजखाना रतलाम, भागीदार नं 6 विजेश पिता श्री गोपालचंद्रजी कसेरा, आदर्शगुरू कल्याणनगर, रतलाम, भागीदार नं 7 नीतिन पिता श्री हेमंतकुमारजी पिरोदिया, ए. बी. रोड, इंदौर, को सम्मलित किया गया है.

उपरोक्त संशोधन दिनांक 13 फरवरी, 2017 से प्रभावशील रहेगा.

डी पी आभूषण,
अनिल कटारिया,
(भागीदार)
138, चांदनीचौक, रतलाम (म. प्र.).

(762-बी.)

आम सूचना

पंजीयन क्र. 02/42/01/00211/12 सन् 2012-13.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म ऊँ साई कंस्ट्रक्शन कं के नाम से है. जिसमें साझेदारी की संरचना इस प्रकार से है.

पार्टनर 1. श्री नरेश गुप्ता जी (29%)

2. श्री राजकुमार कुकरेजा जी (33%)

3. श्री मुकेश चौरसिया जी (26%)

4. श्री लक्ष्मी नारायण शिवहरे जी (12%)

उपरोक्त साझेदारों की संरचना में परिवर्ततन किया जा रहा है, जो 01-10-2016 के बाद से इस प्रकार से रहेगा.

1. श्री नरेश गुप्ता जी (29%)

2. श्री राजकुमार कुकरेजा जी (33%)

3. श्री मुकेश चौरसिया जी (11%)

4. श्री श्री रमेश चौरसिया जी (15%)

5. श्री राहुल शिवहरे जी (12%)

उपरोक्त किये जा रहे संशोधन में किसी को भी आपत्ति हो तो वह 15 दिन में फर्म के पते पर लिखित में आपत्ति कर सकता है.

सूचनाकर्ता-

ॐ सांई कंस्ट्रक्शन कम्पनी,

रमेश चौरसिया,

(पार्टनर)

0-5, आशियाना काम्प्लेक्स, मोती पैलेस,

ग्वालियर (म. प्र.).

(77-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परगना व जिला भिण्ड

प्रकरण क्रमांक/2016-17/बी-113

फार्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री रामानन्द सरस्वती गुरू श्री योगानन्द सरस्वती, निवासी बाराकलां, जिला भिण्ड द्वारा श्री योगानन्द सरस्वती सेवा स्मृति न्यास के नाम से पब्लिक ट्रस्ट का गठन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मय सहपत्रों के प्रस्तुत किया गया.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 06 अप्रैल, 2017 को विचार में लिया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता या स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है उपर्युक्त अवधि समाप्त के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री योगानन्द सरस्वती सेवा स्मृति न्यास, ग्राम बराकलां, जिला भिण्ड.
2.	चल सम्पत्ति	:	न्यास का निस्तारी सामान जिसकी अनुमानित कीमत-1,25,000/-
3.	अचल सम्पत्ति	:	ग्राम बाराकलां, भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 676 रकवा 0.25 एवं सर्वे नम्बर 677 रकवा 0.25 हैक्टेयर भूमि.

संतोष तिवारी,

अनुविभागीय अधिकारी.

(1058)

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ट्रस्ट (शहर), रतलाम

प्र.क्र.बी-113(1)/2016-17. रतलाम, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

[फार्म-4 नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4(2) के तहत्]

क्र.02/आर-3/16. आवेदक श्री सुनिल झा पिता श्री हरिशंकर झा एस. डी. एम., रतलाम के ट्रस्टीगणों के द्वारा म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "गुलाब चक्कर लोक मंच न्यास, रतलाम म. प्र." के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 10 जनवरी, 2017 को की जावेगी.

अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण नियत दिनांक 10 जनवरी, 2017 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें. और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यासी का पूरा नाम	:	"गुलाब चक्कर लोक मंच न्यास, रतलाम" पता-वर्तमान कार्यालय रतलाम एस. डी. एम. कार्यालय में स्थित रहेगा.
अचल संपत्ति	:	कलेक्टर, रतलाम के स्वामित्व का निर्मित ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व का स्थान गुलाब चक्कर, रतलाम.
चल संपत्ति	:	रु. 10,000/-

सुनिल झा,
रजिस्ट्रार.

(1060)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक-न्यास उपखण्ड-सिंगोली, जिला नीमच

प्र.क्र.02/बी-113(1)/2016-17. सिंगोली, दिनांक 01 मार्च, 2017 प्रोसेस नं. 45

प्रारूप क्रमांक 4

[देखें नियम 5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और म. प्र. लोक न्यास नियम-1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

आवेदक श्री कुन्द-कुन्द कहान दिगम्बर जैन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, तहसील सिंगोली, जिला नीमच म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है, कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 13 अप्रैल, 2017 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री कुन्द-कुन्द कहान दिगम्बर जैन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट तहसील सिंगोली, जिला नीमच (म. प्र.).
संपत्ति का विवरण	:	बैंक में जमा राशि रु. 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये मात्र) (खाता क्र. 35897397969).

गरिमा रावत,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1062)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-5, उपधारा-2 और म. प्र. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

चूंकि श्री सोहनलाल, कैलाशकुमार, सुनिलकुमार पिता रामेश्वरलाल, श्रीमति निशादेवी पिता किशनलाल, श्रीमती सरोजदेवी पिता श्री राधेश्याम, श्री अमित गोयल पिता ओमप्रकाश, श्री हितेश पिता ओमप्रकाश, निवासी-नीमच द्वारा म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16 जनवरी, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझावा देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, म. प्र. का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 जनवरी, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री रानीसती मंदिर ट्रस्ट बधाना, नीमच
2.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक
2.	चल सम्पत्ति	:	रु. 10,000/-(अक्षरी रुपये दस हजार मात्र)

आदित्य शर्मा,
पंजीयक.

(1063)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "दिव्य साधना चैरिटेबल ट्रस्ट पता-5, फ्लोअर, विद्याराज एनेक्स, बी-1, बसंत विहार, सत्य सांई स्कूल के पास, इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी/प्रबंधक श्री प्रवीण कक्कड़, पता-उदय कुंज ए. बी. 310 स्कीम नं. 74 सी, विजय नगर, इन्दौर के द्वारा दिव्य साधना चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता-5, फ्लोअर, विद्याराज एनेक्स, बी-1, बसंत विहार, सत्य सांई स्कूल के पास, इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	:	"दिव्य साधना चैरिटेबल ट्रस्ट"
2. पता	:	5, फ्लोअर, विद्याराज एनेक्स, बी-1, बसंत विहार, सत्य सांई स्कूल के पास, इन्दौर
3. अचल संपत्ति	:	निरंक
4. चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) हैं.

आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(1065)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) वनमण्डल, बैतूल

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

इस वनमण्डल के अधिनस्थ परिक्षेत्र भौंरा (उत्पादन) के कूप क्र. V हांडीपानी के विदोहन कार्य हेतु प्रदाय फैंलिंग हैमर क्रमांक 458/AT वनरक्षक श्री बलवंत देशमुख कूप प्रभारी V हांडीपानी द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2017 को गुमा दिया गया है. जिसकी सूचना परिक्षेत्र अधिकारी भौंरा (उत्पादन) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/44, दिनांक 14 फरवरी, 2017 के माध्यम से इस कार्यालय को दी गई है कि V हांडीपानी के कूप प्रभारी श्री बलवंत देशमुख वनरक्षक, हांडीपानी कूप से शासकीय कार्य उपरान्त वापस परिक्षेत्र कार्यालय भौंरा में कूप की जानकारी देने हेतु आ रहे थे, इस दौरान बैग का जेब कटने से हेमर क्रमांक 458/AT कहीं रास्ते में गिर गया एवं इसकी प्राथमिकी रिपोर्ट पुलिस चौकी भौंरा थाना शाहपुर में दिनांक 14 फरवरी, 2017 को दर्ज कराई गई है. हैमर खोजने के सभी प्रयास असफल रहे तथा खोजने पर भी उक्त हैमर नहीं मिला. ऐसी दशा में यह आवश्यक हो गया है कि उक्त हेमर को अपलेखित किया जावे.

अत: उक्त हैमर न मिलने की स्थिति में मैं, विजय सिंह (आई. एफ. एस.) वनमण्डल अधिकारी (उत्पादन) बैतूल यह आदेश देता हूं कि:-

आदेश

आ.क्र./स्टोर/2017/91.— बैतूल, दिनांक 28 फरवरी, 2017

वन वित्तीय नियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित हैमर को वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है तथा वनरक्षक श्री बलवंत देशमुख कूप प्रभारी V हांडीपानी परिक्षेत्र भौंरा को उक्त हैमर का मूल्य 400/- रुपये (चार सौ रुपये) मात्र एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुये तथा वनरक्षक को महत्वपूर्ण शासकीय सम्पत्ति के रखरखाव में लापरवाही बरती गई के फलस्वरूप भविष्य के लिए चारित्रिक चेतावनी दी जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिलें तो उस हैमर को निकटतम थाने या किसी वन विभाग के कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

हैमर की आकृति निम्नानुसार है:-

विजय सिंह,
वनमण्डलाधिकारी.

(1059)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/573.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/1064, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा यश साख सह. सं. इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3306, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत कु. विनीता चौधरी, सह. निरी. कार्यालय सहायक आयुक्त अंके. होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यश साख सह. सं. इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3306, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1053-I)

होशंगाबाद, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/572.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक परिसमापन/678, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा जय सांई बाबा प्राथ उप. भंडार, इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2432, दिनांक 16 सितम्बर, 1994 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत कु. विनीता चौधरी, सह. निरी. कार्यालय सहायक आयुक्त अंके. होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये जय सांई बाबा प्राथ उप. भंडार इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2432, दिनांक 16 सितम्बर, 1994 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(1053-J)

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल

भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था.विधि/लेखा/2017/479.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, जिसका पंजीयन क्र./बी. पी. एल./एच. ओ./110, दिनांक 12 अक्टूबर, 1965 है को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, भोपाल, संभाग भोपाल के आदेश क्र./परिसमापन/2016/270, दिनांक 10 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के प्रावधान के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला भोपाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(सी/ग) के अंतर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे बैंक (संस्था) के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के भीतर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. गजभिये,
परिसमापक.

(1066)

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., देवास

देवास, दिनांक 10 जून, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./लेखा/50/2016.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., देवास, जिसका पंजीयन क्र. डी. ई. डब्ल्यू/एच. ओ./70, दिनांक 01 जुलाई, 1962 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, उज्जैन, संभाग उज्जैन के आदेश क्र./विधि/2016/160, उज्जैन दिनांक 09 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: म. प्र. सहकारी सोसायटी नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के अंतर्गत समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. एन. त्रिपाठी,

उपायुक्त सहकारिता एवं परिसमापक.

(1067)

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 08 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./विधि/2017/205.—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भिण्ड, जिला भिण्ड, जिसका पंजीयन क्र./बी. एच. एन. डी/एच. ओ./76, दिनांक 25 फरवरी, 1962 है, को संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश क्रमांक/परि./2016/214, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: म. प्र. सहकारी सोसायटी के नियम क्र 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में लेनदार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा मय प्रमाण के प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बबलू सातनकर,

परिसमापक.

(1068)

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 09 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि. 2017/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जय गोमाता दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरवाही	1155/27-08-2015	436/25-04-2016

1	2	3	4
2.	विस्थापित मछुआ सहकारी समिति मर्या., बरौधा	1032/11-06-2003	430/25-04-2016
3.	गोवर्धन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आखेटपुर	1139/28-02-2015	419/25-04-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नंदटोला	1137/28-02-2015	420/25-04-2016
5.	गंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदरचुआ	1140/28-02-2015	421/25-04-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खडडा	1141/28-02-2015	422/25-04-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखा-पुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

शंकर सिंह,

(1069) उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डोरी

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., उमरधा, पंजीयन क्रमांक 556, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991, विकासखंड एवं जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./423, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., उमरधा, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 06 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1070)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., कुदवारी, पंजीयन क्रमांक 555, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991, विकासखंड एवं जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./423, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., कुदवारी, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 06 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1070-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., रानी बुढ़ार, पंजीयन क्रमांक 563, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991, विकासखंड एवं जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./423, दिनांक 19 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री एल. आर. परते, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., रानी बुढ़ार, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 06 मार्च, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1070-B)

डिण्डोरी, दिनांक 20 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी./2017/86.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बटोंधा, पंजीयन क्रमांक 557, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991, विकासखंड एवं जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./69, दिनांक 10 अगस्त, 2007 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी, विकासखंड डिण्डौरी का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1070-C)

डिण्डोरी, दिनांक 20 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी./2017/87.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बिजोरी, पंजीयन क्रमांक 552, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991, विकासखंड अमरपुर, जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./..... दिनांक 10 अगस्त, 2007 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अत: मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बिजोरी, विकासखंड अमरपुर का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1070-D)

डिण्डोरी, दिनांक 20 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 क (1) के अंतर्गत]

क्र./सपंडि/पंजी./2017/88.—प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बसनिया, पंजीयन क्रमांक 560, दिनांक 30 अक्टूबर, 1991, विकासखंड अमरपुर, जिला डिण्डोरी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./..... दिनांक 10 अगस्त, 2007 द्वारा श्री के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

अतः मैं, जी. पी. कन्ड्रा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, डिण्डौरी. एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा-18(1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99, पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बसनिया, विकासखंड अमरपुर का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. कन्ड्रा
सहायक पंजीयक.

(1070-E)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1357.-इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत महिला स्वयं सुविधा साख सहकारी समिति मर्यादित, अधियार खोह, सीधी को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/परि./2016/1197, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के माध्यम से संस्था के पंजीयन दिनांक से अकार्यशील रहने, उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने, अधिनियम/नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने, संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाने, संस्था के विगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं प्रावधानों के अनुरूप नियत समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन में असफल रहने के कारणों के आधार पर सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 तक जवाब चाहा गया था. किन्तु उक्त संस्था द्वारा आज दिनांक तक सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, म. प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अधिकार जो कि मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुए महिला स्वयं सुविधा साख सहकारी समिति मर्यादित, अधियार खोह सीधी, पंजीयन क्रमांक 811, दिनांक 19 मार्च, 2001 को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक सीधी को उसका समापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1071)

सीधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1358.-इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत आदर्श महिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बड़खरा को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/परि./2016/1198, दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के माध्यम से संस्था के पंजीयन दिनांक से अकार्यशील रहने, उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने, अधिनियम/नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने, संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाने, संस्था के विगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं प्रावधानों के अनुरूप नियत समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन में असफल रहने के कारणों के आधार पर सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 तक जवाब चाहा गया था. किन्तु उक्त संस्था द्वारा आज दिनांक तक सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, म. प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अधिकार जो कि मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुए आदर्श महिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, बड़खरा पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 10 जुलाई, 2015 को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक सीधी को उसका समापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. सोनकुसरे,

उप-रजिस्ट्रार.

(1071-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/215.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/132, धार, दिनांक 22 जनवरी, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुपाखेडा, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1497, दिनांक 12 मार्च, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुपाखेडा, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-A)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/216.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/133, धार, दिनांक 22 जनवरी, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटा कठोडिया, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1498, दिनांक 12 मार्च, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटा कठोडिया, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-B)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/217.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2013/1145, धार, दिनांक 14 अगस्त, 2013 के द्वारा केरली क्रेडिट

को-ऑपरेटिव्ह सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1159, दिनांक 10 जून, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत केरली क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-C)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/218.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/377, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा माँ शारदा रेडिमेट सिलाई व वस्त्र गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 20 जून, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत माँ शारदा रेडिमेट सिलाई व वस्त्र गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-D)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/219.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/369, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा माँ गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1237, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री रमेश पेंढारकर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत माँ गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-E)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/220.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/1237, धार, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1149, दिनांक 28 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाडल्या, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-F)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/221.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/1237, धार, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांकी, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1150, दिनांक 28 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांकी, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-G)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/222.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/1760, धार, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांभर, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 480, दिनांक 07 जून, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हुँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांभर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-H)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/223.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/1760, धार, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के द्वारा माँ नर्मदा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., धामनोद, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1224, दिनांक 21 मार्च, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत माँ नर्मदा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., धामनोद, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-I)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/224.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/1760, धार, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के द्वारा आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 320, दिनांक 14 मार्च, 1967 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-J)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/225.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/1760, धार, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के द्वारा आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., फरसपुरा, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 336, दिनांक 30 मार्च, 1968 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी बहु. सहकारी संस्था मर्या., फरसपुरा, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-K)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/226.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/1760, धार, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के द्वारा रेवा कामगार सहकारी संस्था मर्या., गुलाटी, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 12 जून, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत रेवा कामगार सहकारी संस्था मर्या., गुलाटी, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-L)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/229.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2010/1323, धार, दिनांक 23 अगस्त, 2010 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., आली, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 763, दिनांक 01 जुलाई, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. आर. बघेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., आली, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-M)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/230.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/521, धार, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी

संस्था मर्या., कठोडिया, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कठोडिया, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-N)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/231.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/370, धार, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के द्वारा जयदुर्गा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 03 अप्रैल, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत जयदुर्गा महिला साख सहकारी संस्था मर्या., बदनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(1072-O)

धार, दिनांक 31 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/232.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/519, धार, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संदला, जिला धार (मध्यप्रदेश), जिसका पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 26 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संदला, जिला धार (मध्यप्रदेश) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अम्बरीष वैद्य,

(1072-P) उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
आदिनाथ प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर.

आदिनाथ प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-यू.जे.एन.-20, मन्दसौर, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
5. संस्था द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1073)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भरड़ावद.

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., भरड़ावद, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-652, मन्दसौर, दिनांक 13 अक्टूबर, 1992 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
5. संस्था द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान,

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1073-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बाबुल्दा.

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बाबुल्दा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-941, मन्दसौर, दिनांक 19 जनवरी, 2011 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
5. संस्था द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1073-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अजयपुर-2.

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., अजयपुर-2, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-903, मन्दसौर, दिनांक 10 फरवरी, 2009 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.

4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

5. संस्था द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1073-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,
दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., निम्बाखेड़ी.

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., निम्बाखेड़ी, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-369, मन्दसौर, दिनांक 20 मार्च, 1986 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.

2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.

3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.

4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

5. संस्था द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1073-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
सर्वोदय साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर.

सर्वोदय साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-यू.जे.एन.-3, मन्दसौर, दिनांक 28 जनवरी, 2015 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.

2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.

3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.

4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

5. संस्था द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1073-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
विवेकानन्द प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मल्हारगढ़.

विवेकानन्द प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-534, मन्दसौर, दिनांक 25 जनवरी, 1991 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गई.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.

2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.

3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.

4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

5. संस्था द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1073-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,
अध्यापक गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., सुवासरा.

अध्यापक गृ. नि. सहकारी संस्था मर्या., सुवासरा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-905, मन्दसौर, दिनांक 27 फरवरी, 2009

है. का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं.—

1. संस्था वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है, जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबन्धकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
5. संस्था द्वारा संस्था के निर्वाचन सम्पन्न नहीं कराये गये.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र.-एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 15 मार्च, 2017 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भारतसिंह चौहान,
उप-पंजीयक.

(1073-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/529.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1441, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भीटा, तह. शहपुरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1833 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भीटा, तह. शहपुरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1833 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1074)

जबलपुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/530.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1942, दिनांक 29 जुलाई, 2016 के द्वारा जय भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नुनसर, विकासखण्ड पाटन, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1840 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये जय भवानी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नुनसर, विकासखण्ड पाटन, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1840 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1074-A)

जबलपुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/531.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./461, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा रांझी सब्जी, फल-फूल उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1672 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये रांझी सब्जी, फल-फूल उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1672 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1074-B)

जबलपुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/532.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1416, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा रानी दुर्गावती फल-फूल औषधि उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1854 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि नियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. कोरी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने क आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये रानी दुर्गावती फल-फूल औषधि उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1854 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1074-C)

जबलपुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/533.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./1395, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा आजाद साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 620 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मोहन ताम्रकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक

द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये आजाद साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 620 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1074-D)

जबलपुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/534.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./953, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा संकट मोचन साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 503 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मोहन ताम्रकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये संकट मोचन साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 503 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1074-E)

जबलपुर, दिनांक 04 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज/परि./2017/535.—कार्यालयीन आदेश क्र./उपंज/परि./971, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा म.प्र. विद्युत यांत्रिकी कर्मचारी साख सहकारी भण्डार मर्या., गोसलपुर, विकासखण्ड सिहोरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 647 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये म.प्र. विद्युत यांत्रिकी कर्मचारी साख सहकारी भण्डार मर्या., गोसलपुर, विकासखण्ड सिहोरा, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 647 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 04 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,
सहायक-पंजीयक.

(1074-F)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/17/75.—दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कौशलपुर रनेह, पंजीयन क्रमांक 710 को गत वर्षों से अकार्यशील रहने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/1294, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 जारी किया गया था. प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा जिला द्वारा अपने पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने से संस्था को नोटिस जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था, परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कौशलपुर रनेह, पंजीयन क्रमांक 710 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1075)

दमोह, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/17/76.—दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मढ़िया छेवला, पंजीयन क्रमांक 726 को गत वर्षों से अकार्यशील रहने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रुचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./2016/1295, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 जारी किया गया था. प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा जिला द्वारा अपने पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने से संस्था को नोटिस जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था, परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मढ़िया छेवला, पंजीयन क्रमांक 726 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1075-A)

दमोह, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/17/77.—दुग्ध सहकारी समिति मर्या., तिंदनी, पंजीयन क्रमांक 681 को गत वर्षों से अकार्यशील रहने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रूचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./ 2016/1296, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 जारी किया गया था. प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा जिला द्वारा अपने पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने से संस्था को नोटिस जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था, परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., तिंदनी, पंजीयन क्रमांक 681 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1075-B)

दमोह, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/17/78.—दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवरीरतन, पंजीयन क्रमांक 679 को गत वर्षों से अकार्यशील रहने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रूचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./ 2016/1293, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 जारी किया गया था. प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा जिला द्वारा अपने पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने से संस्था को नोटिस जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था, परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अत: मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., देवरीरतन, पंजीयन क्रमांक 679 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1075-C)

दमोह, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/17/79.—दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गुंजी, पंजीयन क्रमांक 747 को गत वर्षों से अकार्यशील रहने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रूचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./ 2016/1292, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 जारी किया गया था. प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा जिला द्वारा अपने पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने से संस्था को नोटिस जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था, परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गुंजी, पंजीयन क्रमांक 747 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1075-D)

दमोह, दिनांक 09 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/17/80.—दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अजीतपुरा, पंजीयन क्रमांक 738 को गत वर्षों से अकार्यशील रहने तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्य न किये जाने तथा संस्था के हित में सदस्यों की रूचि परिलक्षित न होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परि./ 2016/1291, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 जारी किया गया था. प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा जिला द्वारा अपने पत्र क्र./997/दु.शी.के./हटा/2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा दी गई जानकारी अनुसार संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने से संस्था को नोटिस जारी कर संस्था से 15 दिवस के भीतर उत्तर चाहा गया था, परन्तु संस्था द्वारा नियत समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था के भविष्य में कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है तथा समिति के सदस्यों को संस्था के कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए मैं, संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह उपर्युक्त कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अजीतपुरा, पंजीयन क्रमांक 738 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की आस्तियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, हटा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन, उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 3 माह के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

संजय सिंह आर्य,
सहायक-पंजीयक.

(1075-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खरईभाट तहसील-शिवपुरी, जिला-शिवपुरी.	696/29-08-2016	513/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अमरखोआ, जिला-शिवपुरी.	678/09-08-2016	504/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रिचबाडा, तहसील-पोहरी, जिला-शिवपुरी.	694/29-08-2016	512/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टोरिया खालसा, तहसील-पोहरी, जिला-शिवपुरी.	686/12-08-2016	509/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विलोकला, तहसील-शिवपुरी, जिला-शिवपुरी.	688/12-08-2016	510/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जोराई, तहसील-पोहरी, जिला-शिवपुरी.	681/09-08-2016	508/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देवपुरा, तहसील-पोहरी, जिला-शिवपुरी.	677/09-08-2016	507/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., डंगोरा, तहसील-कोलारस, जिला-शिवपुरी.	683/09-08-2016	505/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., राम श्री, तहसील-शिवपुरी, जिला-शिवपुरी.	676/09-08-2016	503/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अल्पसंख्यक महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पोहरी, तहसील-पोहरी, जिला-शिवपुरी.	695/29-08-2016	514/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	डायमण्ड केनवास एवं अटैची निर्माण उद्योग सहकारी संस्था मर्या., शिवपुरी.	501/12-08-2004	515/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., करही, तहसील-नरवर, जिला-शिवपुरी.	690/12-08-2016	506/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा. साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(1076-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

शिवपुरी जिले की निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी द्वारा परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के अंतर्गत मुझे निम्न संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., परिच्छा अहीर, तहसील-पोहरी, जिला-शिवपुरी.	692/29-08-2016	511/21-02-2017

अत: उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को सूचित किया जाता है कि वह संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 12 से 02 बजे दोपहर तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी में आकर प्रस्तुत करें. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा साथ ही यदि किसी के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड हो, तो वह भी मुझे प्रस्तुत करें.

यह सूचना आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

हर्षबर्धन,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(1076-L)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

रीवा, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./16/क्यू.01.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., जोन्ही पो. कचूर विकासखण्ड रीवा, तह. हुजूर, जिला रीवा.	1266/19-01-2015	538/18-03-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एन. पी. सिंह,
परिसमापक.

(1078)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

रीवा, दिनांक 29 जून, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अल्पसंख्यक मछुआ सहकारी समिति मर्या., गोविन्दगढ़	664/11-03-1988	DR/RWA/परि./502/18-03-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलौहा	1042/03-01-2011	DR/RWA/परि./380/14-03-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., किरहाई	917/04-02-2009	DR/RWA/परि./382/14-03-2016
4.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिसुरा	941/11-02-2010	DR/RWA/परि./5383/14-03-2016
5.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बारीकला	942/11-02-2010	DR/RWA/परि./38414-03-2016
6.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौ	978/13-09-2010	DR/RWA/परि./385/14-03-2016
7.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जीवार	1125/16-10-2014	DR/RWA/परि./417/14-03-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

ए. के. गुप्ता,
परिसमापक एवं सह. निरीक्षक.

(1079)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

रीवा, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./16/Q1.— कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	नाम समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जीवन ज्योति सिलाई एवं कशीदादारी उद्योग सहकारी समिति, मर्या., रीवा.	1482/07-07-1979	1890/28-10-2013 (शास. अंश पूंजी है)
2.	शारदा बुनकर सहकारी समिति मर्या., रीवा डिहिया	494/31-01-1994	500/18-03-2016 (शास. अंश पूंजी है)
3.	गोपाल ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., सेमरिया	909/16-06-2006	513/18-03-2016
4.	अमन ईंधन क्रय-विक्रय भखरवार	927/09-01-2007	572/18-03-2016
5.	महिला सिलाई उद्योग कढ़ाई, बासघाट	178/18-04-1990	506/18-03-2016 (शास. अंश पूंजी है)
6.	ओम सिलाई कढ़ाई सहकारी समिति मर्या., बैकुण्ठपुर	813/12-04-1999	1185/18-10-2016 (पुर्नजीवित)
7.	जागृति महिला प्राथमिक सहकारी भण्डार, त्यौंथर	699/24-01-1999	509/18-03-2016
8.	महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सेमरिया	796/18-08-1996	509/18-03-2016

1	2	3	4
9.	महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गोविंदगढ़	765/17-02-1997	511/18-03-2016
10.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., शिवराजपुर	828/04-01-2002	511/18-03-2016
11.	सामूहिक कृषि सहकारी समिति मर्या., मछहिया	940/11-02-2010	391/14-03-2016
12.	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कटरा	1010/31-01-2010	392/14-03-2016
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपालपुर्वा	1090/11-02-2002	393/14-03-2016
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लवरपुर्वा	1091/23-01-2011	394/14-03-2016
15.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाही	979/13-09-2010	395/14-03-2016
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जनकहाई	1127/17-10-2014	419/14-03-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

व्ही. पी. दुबे,
परिसमापक.

(1080)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

रीवा, दिनांक 21 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री कुन्देश्वरनाथ साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., खजुहा	1215/28-10-2014	2275/08-12-2014
2.	विन्ध कृषक बीज उत्पा. सहकारी समिति, कदैला	1217/28-10-2014	2275/08-12-2014
3.	इंदिरा बुनकर स. स., मनिकवार	596/22-07-1996	1891/28-10-2013
4.	आदर्श बुनकर स. स., गुढ़	70/06-03-1959	1891/28-10-2013
5.	पुलिस प्रशिक्षण कर्म. साख स. सं., रीवा	-	1897/28-10-2013
6.	डाकतार कर्म. उप. स. भंडार, रीवा	500/24-11-1965	348/10-03-2015
7.	राज औषधीय पौधा डत्पा. एवं मधु, मधुमक्खी उत्पा. स. स., शिवपुरवा	-	1026/24-05-2014
8.	शासकीय वेतन भोगी स. स., रीवा	539/27-03-2016	351/05-03-2012
9.	प्रा. दुग्ध उत्पा. स. स., तुलसी पूर्वा	1115/04-10-2013	407/14-03-2016
10.	कामधेनु महिला दु. उत्पा. स., समिति, बिहरहटा	1117/04-10-2014	409/14-03-2016
11.	महिला दुग्ध उ. स. समि., गोहट	1118/04-10-2014	410/14-03-2016

1	2	3	4
12.	महिला दुग्ध उत्पा. स. समि., मनिकवार	1119/14-10-2014	411/14-03-2016
13.	प्र. दु. उत्पा. स. स., बहारी	1121/04-10-2014	412/14-03-2016
14.	दुग्ध उत्पा. स. स., पटेहरा	1120/04-10-2014	413/14-03-2016
15.	दुग्ध उत्पा. स. स., बघेला खटखरी	1129/17-10-2014	421/14-03-2016
16.	दुग्ध उत्पा. स. स., पड़री	922/20-07-2009	642/04-04-2016
17.	दुग्ध उत्पा. स. स., राजगढ़	929/23-11-2009	643/04-04-2016
18.	दुग्ध उत्पा. स. स., सकरजिमा	1003/28-10-2010	646/04-04-2016
19.	दुग्ध उत्पा. स. स., गुढ़	952/03-06-2010	647/04-04-2016
20.	दुग्ध उत्पा. स. स., कनौजा	977/16-08-2010	648/04-04-2016
21.	दुग्ध उत्पा. स. स., सिलपरा	983/13-09-2010	649/04-04-2016
22.	दुग्ध उत्पा. स. स., रघुनाथगढ़	1085/12-12-2011	654/04-04-2016
23.	दुग्ध उत्पा. स. स., बदगवां	1027/22-12-2010	651/04-04-2016
24.	बजरंग बीज उत्पा. स. स., पड़ोखर	1101/07-04-2014	1000/03-07-2016
25.	जेल कर्म. एवं साख बंदी कल्याण स. स., रीवा	604/22-02-2005	-

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एन. डी. द्विवेदी,
सह. निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1081)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2017-चैत्र 10, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, देवास, धार, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**- जिला कटनी में फसल चना, अलसी, सतना में चना, मसूर, अलसी व ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, जबलपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति-**

5. **कटाई.**- जिला अनूपपुर, होशंगाबाद, डिण्डोरी, बालाघाट में फसल धान, बुरहानपुर में सोयाबीन, ज्वार, मक्का, कटनी में उड़द, मक्का, मूँग, तिल व दमोह, सीधी, इन्दौर, खरगौन, भोपाल, सीहोर, सिवनी व बालाघाट में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		तुअर, मूँग, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		सोयाबीन.		
			(2) . .		
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेंहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		उड़द, मूँग.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) . .		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) ज्वार, मूँगफली अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर, अलसी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम. अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, तिल, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. गोहपारू	. .				
5. जैतपुर	. .				
6. बुढार	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान अधिक. अलसी, चना कम. राहर, कोदों-कुटकी, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
9. संजीत	. .				
10. कयामपुर	. .				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) मक्का, उड़द, तिल, तुअर, मूँगफली, मूँग अधिक. धान कम. ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलोदा	. .				
6. रतलाम	. .				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग अधिक. सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूँगफली, कपास, तुअर अधिक. मक्का, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. च. शेखर आ. नगर	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन एवं ज्वार, मक्का की कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .		
3. नेपानगर	. .				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .		
3. आष्टा	. .				
4. जावरा	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरूल्लागंज	. .				
7. रेहटी	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, गन्ना अधिक. मूँग, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. फसल धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान, उड़द, तुअर अधिक. सोयाबीन, मूँग कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों-कुटकी अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझोली	. .				
5. कुण्डम	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, अलसी, की बोनी व उड़द, मक्का, मूँग, तिल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) धान, तुअर, ज्वार, मक्का, उड़द तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल. समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शाहपुरा	. .				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. तामिया	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. चाँद	. .				
10. बिछुआ	. .				
11. हर्रई	. .				
12. मोहखेड़ा	. .				
13. उमरेठ	. .				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादोन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसोर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				
7. खैरलांजी	. .				
8. लालबर्रा	. .				
9. बिरसा	. .				
10. परसवाड़ा	. .				

टीप.-*जिला गुना, रतलाम, आगर, खण्डवा, बैतूल, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1064)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.